संख्या-976/2026/121/22-2-2024-17(157)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2026*

विषय:- जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सरफुद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-1603/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-04.01.2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सरफुद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन, हरचुईया, थाना-जाहानाबाद, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.06.2016 को बन्दी ने मुकुल पटेल (उम्र 08 वर्ष) के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-49/2016 में भा0द0वि0 की धारा-377, 511 व 3/4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-01, पीलीभीत के दण्डादेश दिनांक 19.12.2017 द्वारा 07 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.11.2018 द्वारा निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 09.06.2023 तक अपरिहार 04 वर्ष 07 माह 23 दिन तथा 05 वर्ष 07 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की 52 वर्ष की आयु बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (उम्र 08 वर्ष लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करना) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सरफुद्दीन (बन्दी संख्या-193/2020) पुत्र श्री निजामुद्दीन, निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-976/2026/121(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in